UPLP100114652023

रामराज सिंह बनाम इरनाम सिंह

परिवाद सं0–4813 / 2023
अंतर्गत धारा–323 भा0दं0सं0

न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी
उपस्थित–श्रीमती श्रद्धा भारतीय (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)
यू0पी01964
परिवाद संख्या–4813 / 2023
CNR No UPLP100114652023

रामराज सिंह पुत्र रामनाथ सिंह नि0 मो0 पूर्वी लखपेड़ा कस्बा व थाना मोहम्मदी, जिला–खीरी।
.....परिवादी

बनाम

1–हरनाम सिंह पुत्र देशराज सिंह
2–मनोज कुमार सिंह पुत्र हरनाम सिंह
निवासीगण मो0 निघासन रोड, थाना–सदर, जिला–लखीमपुर खीरी।
.....अभियुक्तगण।

अंतर्गत धारा–323 भा0दं0सं0
थाना–मोहम्मदी, जिला–लखीमपुर–खीरी।

निर्णय

1– प्रस्तुत परिवाद परिवादी रामराज सिंह द्वारा अभियुक्तगण हरनाम सिंह व मनोज कुमार सिंह के विरूद्ध न्यायालय में संस्थित किया गया है। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 29.08.2011 द्वारा अभियुक्तगण हरनाम सिंह व मनोज कुमार सिंह को अं0धारा–323 भा0दं0सं0 में विचारण हेतु तलब किया गया।

2– संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि परिवादी के पुत्र दिलीप कुमार सिंह की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विपक्षी सं0–1 की पुत्री प्रीती सिंह के साथ सम्पन्न हुई थी। परिवादी के पुत्र व प्रीती सिंह के मध्य कभी भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। परिवादी के परिवार में सभी के सम्बन्ध मधुर रहे। दिनांक 02.09.2010 को विपक्षी हरनाम सिंह व मनीष कुमार सिंह समय लगभग 05:30 बजे साय प्रीती सिंह की विदाई के लिए मोहम्मदी आये। परिवादी की पत्नी ने कहा इस समय कार्य की अधिकता है, एक सप्ताह बाद विदा करा ले जाना। इसी बात को लेकर विवाद हुआ तब विपक्षी क्र0 1 व 2 ने परिवादी को पटक कर लात घूसों से घर के अन्दर काफी मारा पीटा और परिवादी की गर्दन दबा दी और गन्दी गन्दी गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी दी। परिवादी का पुत्र दिलीप कुमार सिंह आवश्यक कार्य से बाहर गया हुआ था। परिवादी ने घटना के समय शरीर पर आयी चोटों का डॉक्टरी परीक्षण दूसरे दिन सरकारी अस्पताल मोहम्मदी में कराया। घटना के समय जोर–जोर से विवाद होने के कारण पास पड़ोस के काफी व्यक्ति घर आ गये थे, जिन लोगों ने परिवादी को उक्त विपक्षीगण से बचाया व समझाया। परिवादी की बहू प्रीती सिंह अपना समस्त स्त्री धन व समस्त कपड़ों का बक्सा विदोई के समय अपने साथ लेकर मायके चली गयी।

3– परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादी का बयान का बयान अं0धारा–200 दं0प्र0सं0 न्यायालय के समक्ष अंकित किया गया। परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी साक्षी पी0डब्लू0–1 राकेश व पी0डब्लू0–2 नेकपाल का बयान अं0धारा–202 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्तगण हरनाम सिंह व मनोज कुमार सिंह को अंतर्गत धारा–323 भा0दं0सं0 में

विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपनी जमानतें करायीं।

4– परिवादी द्वारा धारा–244 दं0प्र0सं0 के स्तर पर किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराये जाने के कारण परिवादी के बयान अं0धारा–244 दं0प्र0सं0 के साक्ष्य का अवसर दिनांक 25.09.2024 को समाप्त किया गया

5– अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 25.09.2024 को अंतर्गत धारा–323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत बयान मुल्जिम बनाया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा मुकदमा झूठा व रंजिशन चलना कहा गया।

6– परिवादी द्वारा धारा–246 दं0प्र0सं0 के स्तर पर न तो स्वयं तथा न ही किसी अन्य साक्षी को परीक्षित कराया गया। परिवादी द्वारा धारा–246 दं0प्र0सं0 के स्तर पर किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराये जाने के कारण परिवादी के साक्ष्य अंतर्गत धारा–246 दं0प्र0सं0 के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

7– अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अपने कथानक में घटना को झूठी बताया गया तथा मुकदमा रंजिशन चलना तथा कोई सफाई साक्ष्य पेश न करने का कथन किया है।

8– परिवादी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9– पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण किया। पत्रावली पर परिवादी द्वारा धारा–244 दं0प्र0सं0 व धारा–246 दं0प्र0सं0 के स्तर पर किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। इस प्रकार अभियुक्तगण को मात्र तलबी के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं होगा, जब तक कि परिवादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में परिवाद कथानक को साबित न किया जाय।

10– इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण के उपरांत इस न्यायालय का यह मत है कि परिवादी पक्ष अभियुक्तगण **हरनाम सिंह व मनोज कुमार सिंह** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–323 भा0दं0सं0 के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त आरोपित आरोप अंतर्गत धारा–323 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

11– अभियुक्तगण **हरनाम सिंह व मनोज कुमार सिंह** को आरोप अंतर्गत **धारा–323 भा0दं0सं0** के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं। अतः उनके बंध–पत्र व जमानतनामा को निरस्त किया जाता है। प्रतिभुओं को उनके उत्तरदायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

12– अभियुक्तगण प्रत्येक को आदेशित किया जाता है कि वह धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मु0 20,000 / –रूपये का निजी बंध–पत्र व समान धनराशि की एक जमानत दाखिल करना सुनिश्चित करे।

दिनांक–05.08.2026

(श्रद्धा भारतीय)
यू0पी01964
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

दिनांक–05.08.2026

(श्रद्धा भारतीय)
यू0पी01964
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी

UPLP100114652023

रामराज सिंह बनाम इरनाम सिंह

परिवाद सं0–4813 / 2023
अंतर्गत धारा–323 भा0दं0सं0